रंजन कुमार सिन्हा तथा अन्य बनाम बिहार सरकार मार्फत कलेक्टर

दिनांकः 24.06.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी द्वारा व्य0प्र0सं0 के आदेश 39 नियम 7 के अंतर्गत अधिवक्ता आयुक्त की बहाली के संबंध में दिनांक 15.04.2024 को दिये गये आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

मामले में वादी के आवेदन में कहा है कि वादी के द्वारा सयतकरारी मद नं 2 अर्जी नालिस पर निर्माण कार्य करने से रोकने से हेतु अस्थायी ब्यादेश का आवेदन दाखिल किया गया है। यह कि प्रतिवादी के संवेदक द्वारा मद नं 2 अर्जी नालिस पर निर्माण हेतु भवन निर्माण सामग्री तथा मशीनरी इकठ्ठा कर लिया गया है यह कि श्रीमान् से निवेदन है कि वह इस वास्ते कि क्या अर्जी नालिस के मद नं 2 की जायदाद पर निर्माण वास्ते कोई सामग्री इकठ्ठा है या नहीं इस संबंध में तथा मद नं 2 अर्जी नालिस का भौतिक स्वरूप क्या है इस संबंध में प्रतिवेदन हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए प्रतिउत्तर में कहा गया कि सयतकरारी के निश्वत वादीगण को कोई स्वत्व अधिकार व कब्जा नहीं है यह संपत्ति बिहार सरकार में निहित हो गयी है। जिस एराजी पर आम लोगों के हित हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए हॉस्टल का निर्माण करने का पूरा अधिकार है यह कि वादीगण का तथाकथित विक्रय दिनांक 24.06.2000, 22.02.2002, 28.07. 2005 सक्षम पदाधिकारी समाहर्ता द्वारा जमाबंदी संख्या 406 व 893 काश्तकारी अधिनियम की धारा 49क के उपबंधों के अंतर्गत अनुचित अंतरण होने के आधार पर अपास्त किया जा चुका है। वादीगण ने जानबूझकर लोक भूमि में आम लोगों के हित में अवरोध पैदा करने वास्ते इस तरह का आवेदन दिया है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना , अभिलेख का अवलोकन किया । वादी के आवेदन तथा प्रतिवादी के प्रतिउत्तर के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि वादी का आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 7 में दिया गया है चूंकि अस्थायी ब्यादेश आदेश पारित करने से पहले न्यायालय विवादित जमीन का भौतिक स्वरूप जानना आवश्यक समझती है आदेश 39 नियम 7 के अनुसार **1.—न्यायालय वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे—**

क— किसी भी ऐसी संपत्ति के , जो ऐसे वाद की विषय वस्तु है या जिसके बारे में उस वाद में कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता हो, निरोध परिरक्षण या निरीक्षण के लिए आदेश कर सकेगाः

ख— ऐसे वाद के किसी भी अन्य पक्षकार के कब्जे में की किसी भी भूमि या भवन में पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने को किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगाः, तथा

ग— पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी ऐसे नमूनों का लिया जाना या किसी भी ऐसे प्रेक्षण या प्रयोग का किया जाना, जो पूरी जानकारी या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, प्राधिकृत कर सकेगा।

रंजन कुमार सिन्हा तथा अन्य बनाम बिहार सरकार मार्फत कलेक्टर

2.– आदेशिका के निष्पादन सम्बन्धी उपबंध प्रवेश करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

प्रस्तुत मामले में चूंकि कमीशनर सिर्फ विवादित विषय वस्तु जिसके बारे में प्रश्न उद्भूत हुआ है उसके परीक्षण या निरीक्षण हेतु समूचे विवादित क्षेत्र की विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफ होना न्यायालय के राय में आवश्यक है क्योंकि जब तक समस्त विवादित भूमि के संबंध में स्पष्ट वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग जाता तब तक मामले में अस्थयी ब्यादेश आवेदन का निपटारा संभव नहीं है। अतः न्यायालय मामले में अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नृपेन्द्र पाण्डेय विद्वान अधिवक्ता को इस निर्देश के साथ नियुक्त करती है कि वह 15 दिन के भीतर **अर्जी नालिस के मद नं 2 में वर्णित विवादित भूमि के वर्तमान स्थिति की क्या वहां पर कोई भवन निर्माण सामग्री इकठ्ठा तो नहीं है साथ ही साथ सयतकरारी जमीन का भौतिक स्वरूप क्या है एवं समस्त विवादित जमीन की चौहदी के साथ उसकी विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफ कराते हुए न्यायालय में अपना प्रतिवेदन वास्तविक तथ्यों के आधार पर** प्रस्तुत करें तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह 5000रु अधिवक्ता आयुक्त का खर्चा जमा करें साथ ही साथ समस्त निरीक्षण की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ का खर्च भी वादी न्यायालय प्रस्तुत करें। विडियोग्राफी और फोटोग्राफी का खर्च संबंधित विडियोग्राफर और फोटोग्राफर द्वारा निर्धारित राशि पर निर्भर करेगा जिसे वादी न्यायालय में प्रस्तुत करे। इस प्रकार से व्य0प्र0सं0 के आदेश 39 नियम 7 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक वास्ते .....प्रतिवेदन हेतु।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।